न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला. पाली) राज0

पीठासीन अधिकारी : श्री घनश्याम शर्मा, आर0ए0एस0

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या : 59/2015

सायलान :- बनाम गैरसायलान :-

1. भोपालसिंह पुत्र हरजीसिंह

2. हीरा पत्नी भोपालसिंह

जातियान-रावत, निवासीगण-चैनपुरा

तहसील-जैतारण जिला-पाली

1.तहसीलदार जैतारण

तहसील-जैतारण, जिला-पाली

राजस्व प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956

तारीख रजू: 15/05/2015

उपस्थित: 1 श्री रामस्वरूप चौधरी एवं श्री किशोर कुमावत, अधिवक्ता, प्रार्थी।

-:: निर्णय:- दिनॉक: 06/07/2015

वकील मय सायलान ने एक राजस्व प्रार्थना-पत्र बाबत् अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956, विरूद्ध गैरसायलान इस आशय का प्रस्तुत कर निवेदन किया हैं कि राजस्व मौजा ग्राम-सेवरिया, पटवार हल्का-सेवरिया में प्रार्थीगण की खातेदारी एवं कब्जा काश्त की कृषि भूमि खसरा नम्बर 649 रकबा 02-12 व खसरा नम्बर 650 रकबा 49-09, ख0न0 651 रकबा 43-13 बीघा, खसरा नम्बर 653 रकबा 0-05 बीघा, खसरा नम्बर 657 रकबा 31-05, कुल खसरा न0 5 कुल रकबा 127-04 बीघा की आई हुई हैं। उक्त वर्णित आराजी में प्रार्थीगण अपने हिस्से अनुसार मौके पर काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे हैं। नकल जमाबंदी प्रार्थना पत्र के साथ पेश की हैं। उक्त वर्णित आराजी में प्रार्थीगण अपने हिस्से पर मौके पर काबिज है। प्रार्थीगण का हिस्सा जमाबंदी में भी दर्ज हैं। उक्त आराजी में प्रार्थीगण का नाम कुछ खसरा नम्बर में भोपालसिंह पुत्र हरजीसिंह सही इन्द्राज हैं। परन्तु कुछ खसरा नम्बर की भूमि में गोपाल वल्द हरजी की रोंग एन्ट्री हो गई हैं तथा इसी अनुसार हीरा पत्नी भोपाल के स्थान पर हीरा पुत्र भोपाल का इन्द्राज हो गया हैं। जबकि प्रार्थी का सही नाम भोपालसिंह पुत्र हरजीसिंह हैं एवं प्रार्थीया हीरा पत्नी भोपालसिंह हैं। इसी अनुसार प्रार्थीगण के सही नाम का अंकन उनके परिचय पत्र, आधार कार्ड, राशनकार्ड की फोटो प्रतियां की नकले प्रार्थना पत्र के साथ पेश की हैं। प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि की चौशाला जमाबदी बनाते समय तत्कालीन आर0आई0 व पटवारी ने सहवन से प्रार्थीगण के सही नाम के स्थान पर गलत नाम गोपालसिंह एवं हीरा पुत्र भोपाल का इन्द्राज कर दिया। जो कि एक रोंग एन्ट्री हैं। जिसे दुरस्त किया जाकर प्रार्थी भोपालसिंह का सही नाम भोपालसिंह पुत्र हरजीसिंह दर्ज किया जाना एवं प्रार्थीया हीरा पत्नी भोपाल का सही नाम दर्ज किया जाना न्यायहित में आवश्यक होने से यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0आर0एक्ट0 का अप्रार्थी के विरूद्ध सादर पेश किया हैं। प्रार्थीगण ने दिनांक 09/04/2015 को अप्रार्थी के समक्ष उपस्थित होकर राजस्व रेकर्ड में लिपिकीय भूल का शुद्धिकरण करने बाबत पेश किया, जिस पर अप्रार्थी ने स्पष्ट शब्दों में उसको ईन्कार कर दिया हैं व कहा कि इस हेतु आप सक्षम न्यायालय में प्रार्थना पत्र / कार्यवाही नाम दुरस्ती की करावें। तब प्रार्थी के पास अन्य कोई विकल्प शेष नहीं

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned by CamScanner

रहने से यह प्रार्थना पत्र राजस्व रेकर्ड में दुरस्ती का श्रीमान के समक्ष सादर पेश किया हैं। उक्त प्रार्थना पत्र में वर्णित खसरा नम्बरान में अन्य सह खातेदारान भी हैं। परन्तु प्रार्थीगण को उनके विरुद्ध किसी प्रकार से कोई अनुतोष प्राप्त नहीं चाहा हैं। इसलिए उनको पक्षकार नहीं बनाया गया हैं। उक्त वर्णित आराजी मौजा-सेवरिया, तहसील-जैतारण में स्थित होने से श्रीमान के श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार में होने से सुनवाई किए जाने का अधिकार श्रीमान को प्राप्त हैं। इस प्रकार प्रा.पत्र मय शपथ-पत्र एवं दस्तावेजात पेश कर उक्त विवादित भूमि में सायलान के नाम की गलत प्रविष्टि गोपाल पुत्र हरजी एवं हीरा पुत्र भोपाल के गलत इन्द्राज को हटाकर दुरुस्त इन्द्राज भोपालसिंह पुत्र हरजीसिंह एवं हीरा पत्नि भोपालसिंह किये जाने की प्रार्थना की है।

राजस्व प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर गै.सा. को जरिए नोटिसेज वास्ते जवाब प्रा.पत्र तलब किया गया। पत्रावली राजस्व लोक अदालत अटल सेवा केन्द्र-सेवरिया में पेश हुई। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। तहसीलदार, जैतारण स्वयं अप्रार्थी राजस्व लोक अदालत में उपस्थित। अप्रार्थी ने जबाब प्रार्थन पत्र पेश किया कि पत्रावली में प्रस्तुत प्रा.पत्र मय शपथ-पत्र एवं दस्तावेजात भोपालसिंह पुत्र हरजीसिंह का आधार कार्ड संख्या 721660175292, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी फोटो पहचान पत्र संख्या RJ/21/159/423328 दिनांक 25/04/2011, राशन कार्ड सं0 869 एवं हीरा पत्नि भोपालसिंह का आधार कार्ड संख्या 700212946059, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी फोटो पहचान पत्र संख्या RJ/21/159/423260 दिनांक 25/04/2011, राशन कार्ड सं0 869 के अनुसार सायलान का उक्त राजस्व रेकर्ड में दर्ज इन्द्राज गोपाल पुत्र हरजी एवं हीरा पुत्र भोपाल त्रूटिपूर्ण होने से भोपालसिंह पुत्र हरजीसिंह एवं हीरा पत्नि भोपालसिंह एक व्यक्ति सायलान ही है तथा वास्तविक नाम भोपालसिंह पुत्र हरजीसिंह एवं हीरा पत्नि भोपालसिंह ही है, जरिए शुद्धि-पत्र दुरुस्ती किया जावें।

अतः तहसीलदार, जैतारण के जबाब प्रार्थना पत्र एवं प्रस्तुत दस्तावेजात भोपालसिंह पुत्र हरजीसिंह का आधार कार्ड संख्या 721660175292, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी फोटो पहचान पत्र संख्या RJ/21/159/423328 दिनांक 25/04/2011, राशन कार्ड सं0 869 एवं हीरा पत्नि भोपालसिंह का आधार कार्ड संख्या 700212946059, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी फोटो पहचान पत्र संख्या RJ/21/159/423260 दिनांक 25/04/2011, राशन कार्ड सं0 869 का गहनता से अध्ययन किया गया। बहस वकील सायलान सुनी गई। लिहाजा सायलान का नाम गोपाल पुत्र हरजी एवं हीरा पुत्र भोपाल के स्थान पर वास्तविक नाम भोपालसिंह पुत्र हरजीसिंह एवं हीरा पत्नि भोपालसिंह दुरुस्त किया जाना उचित समझते हैं।

-:: आदेश ::-

अतः सायल का प्रा.पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू. राजस्व अधिनियम,1956 का स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार, जैतारण को आदेशित किया जाता है कि राजस्व मौजा ग्राम-सेवरिया, पटवार हल्का-सेवरिया में प्रार्थीगण की खातेदारी एवं कब्जा काश्त की कृषि भूमि खसरा नम्बर 649 रकबा 02-12 व खसरा नम्बर 650 रकबा 49-09, ख0न0 651 रकबा 43-13 बीघा, खसरा नम्बर 653 रकबा 0-05 बीघा, खसरा नम्बर 657 रकबा 31-05, कुल खसरा न0 5 कुल रकबा 127-04 बीघा भूमि के वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में गलत दर्ज

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned by CamScanner

संख्या 721660175292, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी फोटो पहचान पत्र संख्या RJ/21/159/423328 दिनांक 25/04/2011, राशन कार्ड सं0 869 एवं हीरा पत्नि भोपालसिंह का आधार कार्ड संख्या 700212946059, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी फोटो पहचान पत्र संख्या RJ/21/159/423260 दिनांक 25/04/2011, राशन कार्ड सं0 869 के दस्तावेजात अनुसार भोपालसिंह पुत्र हरजीसिंह एवं हीरा पत्नि भोपालसिंह एक ही व्यक्ति सायलान ही हैं। अतः वास्तविक नाम भोपालसिंह पुत्र हरजीसिंह एवं हीरा पत्नि भोपालसिंह होने से जरिए शुद्धि पत्र दुरूस्त किया जावें। तहसीलदार जैतारण को निर्णय की प्रति भेजी जाकर पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर/लेख्य भण्डार जमा हो।

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी जैतारण
जैतारण (पाली)
जिला–पाली (राज0)

निर्णय आज दिनॉंक 06.07.2015 को राजस्व लोक अदालत अटल सेवा केन्द्र –सेवरिया में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी जैतारण
जैतारण (पाली)
जिला–पाली (राज0)

Scanned by CamScanner